14-2-2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बाबुसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– निम्बोडा, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री महावीर सिंह देवडा उपस्थित। अप्रर्थी संख्या–1 (भीखसिंह पुत्र ओखसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– निम्बोडा, तह. व जिला– सिरोही) व अप्रार्थी संख्या–2 (भंवरसिंह पुत्र भीखसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– निम्बोडा, तहसील व जिला– सिरोही) के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–3 (ग्राम पंचायत, जैला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जैला तह. व जिला–सिरोही) अनुपस्थित।

प्रार्थी बाबुसिंह की ओर से यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी. पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत अप्राथीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 27/2014 में पारित आदेश दिनंक 18.9.2018 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र रेस्टोर कर पुनः सुनवाई हेतु नम्बर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज राजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी भीखसिंह व भंवरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी भीखसिंह व भंवरसिंह की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, जैला को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, जैला द्वारा अप्रार्थी भीखसिंह व भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 26.5.2014 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 07.10.2014 को पंचायत निगरानी धार 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसके पंचायत निगरानी संख्या 27/2014 है। उक्त निगरानी प्रकरण तामिली हेतु नियत था। उक्त निगरानी प्रकरण में अप्रार्थी भीखसिंह व ग्राम पंचायत, जैला को नोटिस की तामिल हो गई थी, लेकिन अप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र भीखसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– निम्बोडा जो ग्राम में नही रहता था को नोटिस तामिल नही हुआ था। उक्त पट्टे को निरस्त करवाने के लिये

.....लगातार

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:43 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्याः 68/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अप्रार्थी भंवरसिंह को नोटिस तामिल करवाया जाना आवश्यक था। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी भंवरसिंह को नोटिस की तामिल करवाने हेतु इस न्यायालय में समय-समय पर पी.एफ. व नोटिस फार्म प्रस्तुत किये थे एवं पंजीकृत डाक से भी नोटिस भिजवाये गये थे, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद अप्रार्थी भंवरसिंह को नोटिस तामिल नही हुआ तो प्रार्थी के खर्च पर स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस छाया करवाने के आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये। स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस छाया करने का आदेश होने के बाद प्रार्थी बाबुसिंह कमाने हेतु बाहर गांव गया हुआ था उस वक्त प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा ने प्रार्थी को उक्त प्रकरण में नोटिस समाचार पत्र में छाया करवाने हेतु नही बताया तथा न ही किसी पत्र से कोई सूचना प्रार्थी को मिली। यह कि उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में नियुक्त प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा की मृत्यु की सूचना मिलने पर प्रार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर इस न्यायालय से उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण की नकल मांगने से प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी भंवरसिंह को उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को समाचार पत्र में छाया नही करवाने के कारण प्रार्थी बाबुसिंह का निगरानी आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.9.2018 को खारिज कर दिया गया है। यह कि प्रार्थी बाबुसिंह द्वारा अप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र श्री भखसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- निम्बोडा को स्वयं के खर्च से स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस छाया करवाने हेतु तैयार व तत्पर है, इस कारण से प्रार्थी ने उक्त पंचायती निगरानी संख्या 27/2014 को रेस्टोर करवाने एवं पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में प्रार्थी के बाहर गांव कमाने चला गया था इस कारण इस न्यायालय में तारीख पेशी पर हाजिर नही हो सका था एवं प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा द्वारा प्रार्थी को समाचार पत्र में नोटिस को छाया करवाने की सूचना नही देने व प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी इस न्यायालय के आदेश की पालना में अप्रार्थी भंवरसिंह का नोटिस समाचार पत्र में छाया नही करवा सका है, जिसमे प्रार्थी बाबुसिंह की कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पंचायत निगरानी संख्या 27/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.2.2018 को निरस्त कर उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी भीखसिंह व भंवरसिंह के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण लगातार	

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:43 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्याः 68 / 2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी को अप्रार्थी भंवरसिंह के नोटिस को दैनिक समाचार पत्र में छाया करवाकर तामिली कराई जाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.2.2018 को दिया गया था। जिसकी पालना प्रार्थी द्वारा नही किये जाने के कारण प्रार्थी के निगरानी आवेदन को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.9.2018 को खारिज किया गया है। प्रार्थी को पटटा संख्या 41 दिनांक 26.5.2014 को निरस्त करवाने का कोई अधिकार नही है। उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में अप्रार्थी भंवरसिंह को नोटिस की तामिली इस न्यायालय के आदेशानुसार कराये जाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की थी, लेनिक प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश की इरादतन अवहेलना की है। यह कि प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा दिनांक 18.9.2018 को न्यायालय में उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति में प्रकरण में निर्णय पारित हुआ है। प्रार्थी बाबुसिंह अपनी लापरवाही के लिये स्वयं दोषी है। प्रार्थी के अधिवक्ता नरेन्द्रसिहजी देवडा की मृत्यु होना स्वीकार है, लेकिन निगरानी संख्या 27 / 2014 में दिनांक 18.9.2018 को अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह देवडा इस न्यायालय में उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में उपस्थित थे। दिनांक 18.9.2018 के पश्चात नरेन्द्रसिहजी देवडा न्यायालय परिसर में पैरवी करते रहे है। नरेन्द्रसिहजी की मृत्यु हुये करीब डेढ दो वर्ष हुये है। प्रार्थी बाबुसिंह द्वारा अपनी गफलत एवं लापरवाही के लिये दूसरो पर दोषारोपण किया जाना किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। प्रार्थी की और से उसके अधिवक्ता न्यायालय में हर पेशी पर उपस्थित रहे है, जिससे प्रार्थी अपने अधिवक्ता को दोषी नहीं ठहरा सकता है। प्राथी ने ईरादतन नोटिस का प्रकाशन अखबार मे नही करवाया है। प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है, इसलिये प्रार्थी उक्त पंचायती निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को पुनः रेस्टोर करवाने का किसी भी रूप से अधिकारी नहीं है। यह कि उक्त पंचायती निगरानी आवेदन को खरिज हुये करीब साढे तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद प्रार्थी बाबुसिंह ने उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण को रेस्टोर करवाने एवं सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये जाने के लिये [illegible] पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया अवधि बाहर [illegible] से [illegible] खारीज के है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] सी.पी.सी. के तहत विधि मे परिपोषणीय नहीं है। आदेश [illegible] नियम 7. सी.पी.सी. के प्रावधान इस प्रकरण मे लागू नहीं होते है। प्रार्थी की निगरानी एक पक्षीय रूप से खारीज नही हुई है [illegible] निगरानी खारीज किये जाने का

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:43 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्याः 68/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

आदेश पारित हुआ उस समय प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे। प्रार्थी का यह आवेदन विधि अनुसार नहीं है। प्राथी ने उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन मे प्रार्थी का विवरण एवं अप्रार्थीगण का विवरण प्रस्तुत नही किया है। प्रश्नगत आवेदन पृथक आवेदन है एवं पृथक रूप से दर्ज किया गया है जिससे प्रार्थी को आवेदन के पक्षकारों का पूरा विवरण आवेदन में अंकित आवश्यक था। प्रार्थी को आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के अन्तर्गत यह आवेदन प्रस्तुत करने का विधि में कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का उक्त पंचायत निगरानी आवेदन प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिती मे खारीज हुआ है। जिससे प्रार्थी का आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. का यह प्रार्थना पत्र विधि में परिपोषणीय नही होने से काबिल खारीज के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी बाबूसिंह ने ग्राम पंचायत, जैला द्वारा अप्रार्थी भीखसिंह व भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 26.5.2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो पंचायत निगरानी संख्या 27/2014 दर्ज रजिस्टर हुआ। उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी भीखसिंह व ग्राम पंचायत, जैला को नोटिस की तामिल हो चुकी थी, लेकिन उक्त पंचायत निगरानी संख्या 27/2014 में अप्रार्थी भंवरसिंह को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिल नही हो पाने के कारण इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी भंवरसिंह को जारी नोटिस को प्रार्थी के खर्च पर दैनिक समाचार पत्र में छाया करवाने के आदेश दिनांक 16.2.2018 को पारित किये गये। प्रार्थी पक्ष द्वारा इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.2.2018 की पालना नही करने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 2 एवं आदेश 7 नियम 11(च) के तहत प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी बाबुसिंह द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.2.2018 की पालना में अप्रार्थी भंवरसिंह को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को दैनिक समाचार पत्र में छाया करवाने के आदेश होने के 7 माह व्यतीत होने तक इस न्यायालय के आदेश की पाला नही की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में उक्त पंचायत निगरानी संख्या 27/2014 में पारित आदेश दिनांक

.....लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:43 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्याः 68/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	18.9.2018 को निरस्त करवाने एवं उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण को .रेस्टोर कर सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये जाने के संबंध में आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये है वह कारण संतोषप्रद नही है तथा यह प्रार्थना पत्र भी 2 वर्ष 6 माह से अधिक अवधि के बाद प्रस्तुत किया है जो अतिशय से विलम्ब से प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में इस विलम्ब की अवधि के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही दर्शाया है। यह भी उल्लेखनीय नही है कि उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण एकपक्षीय रुप से खारिज नही हुआ है, बल्कि प्रार्थी द्वारा इस न्यपायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.2.2018 की पालना नही करने कारण खरिज हुआ है। ऐसी स्थिति में, आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही	

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:43 IST
Reason: SelfAttested